फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्रीमती भारती पत्नी सुरेश कुमार सोमपुरा उम्र वयस्क निवासी वरकाना स्टेशन रानी तहसील देसूरी जिला पाली

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता किशन सिंह राजपूत
2. श्री लक्ष्मणसिंह पिता किशन सिंह राजपूत
3. श्रीमती हिमता कुंवर पत्नी किशन सिंह राजपूत
   सभी निवासीयान पिपंलात्री तहसील व जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द

– अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र 14(4) **पत्रावली संख्या 02/2019**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.08.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकु0पक्ष0उप0। प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम आरणा तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी नं0 1723/11 रकबा 06.05 बीघा भूमि किस्म खनन क्षेत्र के रूप मे विपक्षी संख्या 01 से 03 के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड गैर खातेदारी को जरिये मिसल संख्या 338/72 दिनांक 13.05.1973 को आवंटित भूमि को निरस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसमें आवंटन को निरस्त कराने के लिए यह आधार लिया गया है कि आवंटी ग्राम पीपंलात्री के सरपंच हरिसिंह के परिवार का सदस्य था तथा उक्त आवंटित भूमि पर अपीलार्थी के नाम पर सन् 1989 से खनन पट्टा संख्या 2251/89 स्वीकृत होकर चालु है। इसलिए उक्त आवंटित भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है एवं आवंटन नियमों के विपरित होने से इसे निरस्त किया जावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह राव एवं विपक्षी संख्या 04 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 03 की ओर से दिनांक 31.05.2019 को प्रकरण मे राजीनामा जाहिर करते हुए राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश कर स्वेच्छिक रूप से उक्त आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर भूमि को राजकीय बिलानाम दर्ज किये जाने हेतु लिखित में राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें प्रार्थना पत्र पर पक्षकरान को सूना गया। पक्षकरान ने उक्त राजीनामा स्वेच्छिक रूप से निष्पादित कर सही होना स्वीकार किया गया है तथा उक्त राजीनामें अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारण करने के लिए अपनी सहमति दी गयी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के	

मध्य हुए राजीनामें अनुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। विपक्षीगण की सहमति से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी को राजस्व ग्राम आरणा तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी नं0 1723/11 रकबा 06.05 बीघा भूमि के आवंटन दिनांक 13.05.1973 को विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एव दी गयी सहमति अनुसार निरस्त किया जाता है। तद्नुसार उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार, राजसमन्द को प्रदान किया जाता है।

उक्त आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को आवंटन पत्रावली में संलग्न किये जाने एवं तहसीलदार, राजसमन्द राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम दर्ज करने हेतु प्रेषित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)